


क्रमांक: प।।।कार्मिक/अस्पताल/2000/ 3086 दिनांक: 24/1/2000

कार्यालय-आदेश


राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये रूंगटा हास्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अंतर्गत चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय को पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव 72/1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. मं., जयपुर
2. अति. मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी. एण्ड डब्ल्यू., रा. आ. मं., जयपुर
3. वरि. निजी सहायक-सचिव/वि. स. एवं सु. ले. अ., रा. आ. मं., जयपुर
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त...
5. आवासीय अभियंता, वृत्त...
6. लेखाधिकारी, वित्त/भुगतान, रा. आ. मं., जयपुर
7. समस्त अधिकारी/समस्त प्रकोष्ठ...
8. निदेशक, रूंगटा हास्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली


सचिव 22/1